

व तारीख
म जो इस
तामील
खुर

न्यायालय जा० तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मु.न. 359/18

सरकार

बनाम

श्री: अरीकंद श/०
हिममती देवी
रजपुर

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

निर्णय

दिनांक 9/1/18
9/1/18

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण वृत्तान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री अरीकंद पुत्र श्री हिममती देवी जाति रजपुर निवासी कोठला तहसील महवा ने संवत् 2074 फसल रवि / खरीफ मे ग्राम कोठला की राजकीय आराजी खसरा नं. 326 रकबा 0.03 किस्म गं. भूमि से 0.03 रकबा पर अनाधिकृत रूप से फसल कब्जा कर अतिचार कर लिया है।
अकाल

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहा है अतः अतिक्रमी के प्रति एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं । अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रुपये 0.06 का 50 गुना 326 राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एवं वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

जाग
कार्यवाही तहसीलदार
महवा (दौसा)

रजिस्टर ग/घ के पेज नं० 103 पर
वर्ष 2017-18 में ... की राशि तादादी 326 की जमा कायमी की गई ।
दिनांक 9/2/18 तहसील ... न्यायालय-महवा